107

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 148—एक/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—01—2002 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 13/अपील/1996—97

.....

नन्द किशोर तनय राम भरोसा राम
निवासी—ग्राम बदौहा उप तहसील सेमरिया
तहसील सिरमौर, जिला—रीवा(म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

1— महावीर प्रसाद तनय रामभगत राम
निवासी—थनवरिया उप तहसील सेमरिया, तहसील सिरमौर
जिला—रीवा(म0प्र0)

2— सूर्य प्रसाद तनय कालिका प्रसाद
निवासी—थनवरिया उप तहसील सेमरिया, तहसील सिरमौर
जिला—रीवा(म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश
(आज दिनांक 14-11-2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—01—2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दुबहा स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 55 रकबा 0.52 एकड़, खसरा नं0 56, रकबा 1.78 एकड़, खसरा नं0 57, रकबा 0.94 एकड़, खसरा नं0 58, रकबा 1.14 एकड़, खसरा नं0 59, रकबा 0.62 एकड़, खसरा नं0 60, रकबा 1.77 एकड़, खसरा नं0 61, रकबा 1.52 एकड़ एवं खसरा नं0 69, रकबा 0.50 एकड़, कुल रकबा 8.79 एकड़ में से खसरा नं0 69, रकबा 0.50 एकड़, का नामांतरण अपने नाम किये जाने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र तहसीलदार सेमरिया के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.09.89 से नामांतरण आवेदन निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा प्रथम अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 18/अ–6/1990–91 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 18.01.92 से अपील स्वीकार कर खसरा नं0 69, रकबा 0.50 एकड़, का नामांतरण का आदेश आवेदक के पक्ष में किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जहॉ अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 13/अपील/1996–97 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 16–01–2002 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 18.01.92 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम दुबहा की प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 69 रकबा 0.50 एकड़ के वास्तविक भूमिस्वामी अनावेदक क्र0 1 के पिता रामभगत राम थे । उक्त प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1948 में अनावेदक क्रमांक 2 सूर्यप्रसाद को रुपये 400/– (रुपये चार सौ) में बिक्री किया और सूर्यप्रसाद से आवेदक ने दिनांक 13.05.1950 को क्रय किया । यदि आवेदक ने उक्त भूमि क्रय की थी तो आवेदक को उसका इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में कराना चाहिये था, किन्तु 39 वर्षों बाद दिनांक 04.12.89 को

राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। जबकि राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज की कार्यवाही भूमि के क्रय करने के पश्चात ही की जानी चाहिये थी, जो आवेदक द्वारा नहीं की गई और न ही इतने लम्बे विलम्ब के बारे में कोई स्पष्टीकरण ही दिया गया है। राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज की कार्यवाही तथाकथित विक्रय के 39 वर्षों के बाद प्रारंभ होना संदिग्ध प्रतीत होता है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में अपने नाम नामांतरण किये जाने का आवेदन दिया था, जिसे तहसीलदार ने विचारोपरांत निरस्त किया है। तहसीलदार के आदेश को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी थी और अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत बिक्री संबंधी छायाप्रति को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है, जबकि प्रस्तुत छायाप्रति अभिप्रमाणित नहीं थी जिसके आधार पर नामांतरण की कार्यवाही उचित नहीं कही जा सकती । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी ने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109–110 के तहत कार्यवाही करते हुये आवेदक के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का नामांतरण स्वीकार करने में भूल है, क्योंकि संहिता की धारा 109–110 के तहत नामांतरण शक्तियों का प्रयोग तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक ही कर सकते है, अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है। इसी कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त किया है और तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा है। अपर आयुक्त रीवा के आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश 16–01–2002 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर